भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3803**

(दिनांक 11.12.2019 को उत्तर के लिए)

**सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक**

**3803. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को लागू करने से पूर्व सरकार ने सिविल सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ-साथ सरकार से बाहर भी कोई परामर्श किया था?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)**

(क) और (ख): आरटीआई अधिनियम, 2005 में आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिए प्रशासनिक एवं समर्थकारी प्रकृति के संशोधन किए गए थे ताकि अन्य बातों के साथ-साथ आरटीआई अधिनियम के अध्याय II/धारा 7 में दिए गए लोकहितों अर्थात् पारदर्शिता के लिए सूचना साझा करना और जबावदेही से संबंधित अधिनियम की मूल भावना को प्रभावित किए बिना केन्द्र और राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधनों एवं शर्तों संबंधी स्पष्ट प्रावधान किये जा सकें।

इन संशोधनों में कोई सामाजिक अथवा अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ सम्मिलित नहीं है जो सरकार के अलावा पूर्व-विधायी परामर्श को आवश्यक बनाती हो। सूचना आयोगों के अधिकार और कार्य पूर्व की तरह ही हैं क्योंकि अधिनियम के अध्याय II के तहत संगत प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। न ही इनसे इन संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता भी प्रभावित होगी। यह नियम अन्य बातों के साथ-साथ, आरटीआई अधिनियम के अध्याय-II में दिए गए नागरिकों के सूचना के अधिकार अथवा लोक प्राधिकारियों और लोक सूचना अधिकारियों के दायित्व को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करते।

(घ): प्रश्न नहीं उठता है।

*****